010 855 60

18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स
13/3/19	वकील पक्षकारान उप० स्थगा वादीगण खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
73 / 14	दावा	15.10.14	13.03.19

1. विमला
2. लखनबाई
3. बाबूडी

पुत्रीयान फाबूल्या जाति मीना निवासी रानीपुरा (जाखोदा) तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान

—वादीयागण

बनाम

1. कम्मो बेवा हरिकेश
2. राजाराम पुत्र फाबूल्या
3. जलबाई बेवा फाबूल्या
4. बृजलाल पुत्र बूकल्या

सभी जाति बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तहo सपोटरा जिला करौली राजस्थान

5. शाखा प्रबन्धक बी0आर0जी0बी0 शाखा सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
6. शाखा प्रबन्धक ए0के0जी0बी0 शाखा सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
7. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
8. उप पंजीयक सपोटरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– श्री कमरपाल मीना वकील वादीयागण।
श्री श्यामप्रकाश गर्ग वकील प्रति0 सं0 1

संक्षेप में वाद तथ्य वादीयागण इस प्रकार से है कि वादीयागण ने एक वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 31 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं0 32 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 33 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं0 34 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नं0 35 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं0 36 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं0 37 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं0 696 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 791 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नं0 807 रकबा 01 बीघा, खसरा नं0 834 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नं0 843 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं0 866 / 1 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं0 867 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 1066 / 1 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं0 1066 / 4 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 18 कुल रकबा 20 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम जाखोदा तहसील सपोटरा वादीयागण की पुश्तैनी खातेदारी की आराजीयात है। वाद पत्र मे दर्ज पारिवारिक सजरा अनुसार पून्या के दो संतान हुई बुकल्या व फाबूल्या। बुकल्या के एक संतान प्रतिवादी सं0 4 है। फाबूल्या के वादीयागण, राजाराम एवं हरिकेश है। हरिकेश फोत हो चुका है। जिसकी कम्मो बेवा प्रतिवादी सं0 1 है। वादीयागण की उक्त आराजीयात वादीयागण के पिताजी फाबूल्या की पुश्तैनी आराजीयात है। प्रतिवादीगण नं0 1 वादीयागण को वार त्यौहार पर ना तो बुलाती है और ना ही मानती चीनती है। इसलिए वादीयागण ने वादीयागण की माँ प्रतिवादी सं0 3 से अपने पिता की आराजी अपने हिस्से अनुसार हिस्सा लेने के लिए दिनांक 10.10.2014 को कहा तो प्रति0 सं0 3 ने कुछ नही कहा लेकिन प्रतिवादी सं0 1 ने साफ इंकार कर दिया और कहने लगी कि तुम्हारी यहाँ कोई जमीन नही मिलेगी और ना ही हम तुम्हे समय समय पर मानेगें। प्रतिवादीगण वादीयागण को भगा तथा झगडा फिसाद करने पर उतारू हो गये। इसलिए वादीयागण ने अपने हिस्से की जमीन का बंटवारा कराकर राजस्व रिकार्ड मे हिस्सा अनुसार अपना नाम इन्द्राज कराने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादीयागण दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी सं0 2 लगायत 6 बावजुद सम्मन तामील उपस्थित न्यायालय नही आये इसलिए इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं0 7 तथा 8 का वाद

Scanned by CamScanner

पत्र मे राज्यहित प्रभावित नही होने के कारण कोई जवाब दावा पेश करना अपेक्षित नही है। प्रतिवादी सं0 1 ने उपस्थित न्यायालय होकर जरिये वकील अपना जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि वादीयागण का विवादित आराजीयात से कोई ताल्लुक नही है ना ही उनके हक हकूक खातेदारी है। हम फरीकेन जाति से मीना (अनुसूचित जन जाति) है के सदस्य है। हिन्दू सक्शेसन एक्ट की धारा 2(2) के अनुसार हिन्दू सक्शेसन मीनाओं पर लागू होता है। हमारी जाति रीति रिवाज के अनुसार लडकियों के कोई अधिकार पुश्तैनी जमीनों पर नही होते है। विवादित जमीन वादीयागण की पुश्तैनी होना भी दावा मे गलत दर्ज किया है। विवादित जमीन पर वादीयागण कभी काबिज काश्त नही रही ना ही काबिज है इसलिए दावा हाजा चलने योग्य नही है। दावा व हलफनामा कानून के अनुसार तस्दीक नही है। प्रतिवादी सं0 1 जवाबदार बेवा औरत है जिसके पति के फोत होते ही मुझ बेवा को तंग व परेशान करने के लिए अन्य प्रतिवादीगण से मिलकर यह दावा पेश कर दिया है प्रार्थीया जवाबदार के पास विवादित जमीनों के अलावा अन्य कोई आय का साधन जीवन निर्वाह का नही है। प्रार्थीया जमीन पर अपने हिस्से पर काबिज है। इसलिए दावा वादीयागण खारिज फरमाया जावे।

वाद तथ्य, जवाबदावा एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर किता पाच तनकीयात कायम की गई।

वकील वादीयागण ने साक्ष्य मे वादीया विमला पीडब्ल्यू 1, लखनबाई पीडब्ल्यू 3 एवं बाबूडी पीडब्ल्यू 2 के शपथ पत्र पेश किये जिनसे जिरह रिकार्ड की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे जमाबंदी ग्राम जखोदा तहसील सपोटरा सम्वत् 2070–73 एवं सम्वत 2062–65 पेश की है। प्रतिवादी वकील ने प्रतिवादी सं0 1 का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिससे जिरह रिकार्ड की गई, कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये गये।

दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषको की बहस सुनी जाकर उस पर मनन किया गया तथा बहस के दौरान प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का एवं पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया जिनके आधार पर तनकीवाईज विवेचन निम्न प्रकार है:–

1. **आया वादीयागण विवादित आराजीयात की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की है ?** इस तनकी को साबित करने का भार वादीयागण पर है। वादीयागण ने विवादित आराजीयात का पुश्तैनी होने के सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज पेश नही किया है इसलिए यह तनकी विरूद्व वादीयागण तय की जाती है।
2. **आया मुताबिक सजरा वादीयागण फाबूल्या की लड़की है और वादीयागण फाबूल्या की लडकी होने से काबिज है और हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज कराकर खातेदारी कराने की अधिकारी है ?** इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीयागण पर है। वादीयागण फाबूल्या की लड़किया हो सकती है किन्तु वादीयागण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे वादीयागण का विवादित आराजीयात पर कब्जा हो। फरीकेन मीना जाति (अनुसचित जन जाति)) के व्यक्ति है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मीनाओं पर लागू नही होता है, जाति रीति रिवाज के अनुसार लड़कियो के कोई अधिकार पुश्तैनी जमीनों पर नही होते है तथा पुत्र के रहते पुत्रियों को उत्तराधिकार मे अधिकार नही मिले है। उक्त प्रकरण मे वादीयागण के दो भाई प्रतिवादी सं0 2 राजाराम एवं मृतक हरिकेश है जिसकी बेवा पत्नि कम्मों प्रति0 सं0 1 है। वकील प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत न्यायाक नजीर माननीय सुप्रीम कोर्ट की 2012(1) आर आर टी 350 एवं राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बैंच 2012(2) आर आर टी 936 उक्त प्रकरण पर चस्पा नही होती है क्योंकि उक्त नजीर मीना जाति (अनुसचित जनजाति) से सम्बन्धित नही है। विवादित आराजीयात पुश्तैनी होना भी वादीयागण साबित नही कर पाई है, इसलिए वादीयागण विवादित आराजीयात की घोषणा खातेदारी अपने नाम कराने की अधिकारी नही है। अतः यह तनकी विरूद्व वादीयागण तय की जाती है।
3. **आया वादीयागण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी है ?** इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीयागण पर है। मुताबिक तनकी नम्बर 2 जब वादीयागण विवादित आराजीयात की घोषणा खातेदारी अपने नाम कराने की अधिकारी ही नही है तो प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद

Scanned by CamScanner

कराने की अधिकारी भी नही है, इसलिए यह तनकी भी विरूद्व वादीयागण तय की जाती है।

4. **आया कानून की अनुसार दावा तस्दीक नही है इसलिए दावा वादीयागण खारिज होने योग्य है ?** इस तनकी साबित करने का भा प्रतिवादीगण पर है। दावा वादीयागण कानून के अनुसार तस्दीक किया हुआ है इसलिए यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।
5. **आया जवाबदावा उज्रतमजीद पैरा नं0 5 के अनुसार दावा खारिज होने योग्य है ?** इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। तनकी नम्बर 4 व इस तनकी के विवाधक बिन्दु समान है, तनकी नम्बर 4 के अनुसार यह तनकी भी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।
6. **अनुतोषः—** तनकी नम्बर 1, 2, 3 वादीयागण को साबित करनी थी किन्तु तीनो ही तनकीया साबित करने मे वादीयागण असफल रही है तथा तनकी नम्बर 4 तथा 5 भी साबित करने मे प्रतिवादीगण असफल रहे है, इसलिए वादीयागण विवादित आराजीयात की घोषणा खातेदारी अपने नाम कराने की अधिकारी नही है, दावा वादीयागण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त तनकीवाईज विवचेन के अनुसार दावा वादीयागण खारिज किया जाता हैं। निर्णय आज दिनांक 13.03.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner